[1]प्रपत्र सं. 3गघ

[नियम 6छ(2) *देखें*]

[*ई-प्रपत्र*]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक ब्यौरों का विवरण

भाग क

1. निर्धारिती का नाम

2. पता

3. [2][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर]

4. क्या निर्धारिती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, [3][उत्पाद एवं सेवा कर] सीमा शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, यदि हांत तो कृपया पंजीकरण संख्या या [3][जीएसटी नंबर या] इसके लिए आवंटित कोई अन्य पहचान संख्या प्रस्तुत करें

5. स्थिति

6. पिछला वर्ष ....से............तक

7. निर्धारण वर्ष

8. धारा 44कख के प्रासंगिक वाक्यांश को इंगित करें जिसके अंतर्गत अंकेक्षण किया जाना है

[3क][8क. क्या निर्धारिती ने धारा 115खक/115खकक/115खकख 115खकग [3ख][*115खकघ/115खकड़*] के अंतर्गत कराधान को चुना है?]

भाग ख

9. (क) यदि फर्म या व्यक्तियों के संघ हो, सांझेदारों/सदस्यों के नाम और उनके लाभ को सांझा करने के अनुपात को इंगित करें

(ख) यदि पिछले वर्ष की अंतिम तिथि से सांझेदारों या सदस्यों और उनके लाभ को सांझा करने के अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसे परिवर्तन का ब्यौरा

10. (क) व्यापार या पेशे का प्रकार (यदि एक से अधिक व्यापार या पेशे पिछले वर्ष के दौरान किए जाते हो, प्रत्येक व्यापार या पेशे का प्रकार)

(ख) यदि व्यापार या पेशे के रूप में कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसे परिवर्तन का ब्यौरा

11. (क) यदि बही खाते धारा 44कक के अंतर्गत निर्धारित हो, यदि हां, तो ऐसे निर्धारित खातों की सूची

(ख) अनुरक्षित बही खातो की सूची और वह पता जिस पर बही खातो को रखा है

(यदि बही खातो को कम्प्यूटर सिस्टम में सुरक्षित रखा गया है, तो ऐसे कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न बही खातो को निर्दिष्ट करे। यदि बही खातो को एक स्थान पर नही रखा गया है तो प्रत्येक स्थान पर सुरक्षित रखे गए बही खातो के ब्यौरे के साथ उन स्थानों का पता प्रस्तुत करे)

(ग) बही खातो की सूची और जांचे गए प्रासंगिक दस्तावेजों का प्रकार

12. क्या लाभ और हानि खाते में प्रकल्पित आधार पर निर्धारणीय लाभ और प्राप्ति शामिल है, यदि हां, तो राशि और प्रासंगिक धारा ([3ग][*44कघ, 44कघक*],44कङ, 44कच, 44ख, 44खख, 44खखक, 44खखख, अध्याय XII-छ, प्रथम अनुसूची या अन्य कोई प्रासंगिक धारा) को इंगित करे

---

1. आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2014, प्रभावी तिथि 25.07.2014 द्वारा प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, प्रपत्र सं. 3गघ, आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2009, प्रभावी तिथि 13.04.2009, आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2006 प्रभावी तिथि 10.08.2006, आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2004 प्रभावी तिथि 1.12.2024, आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1999, प्रभावी तिथि 04.06.1999, आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 1992, प्रभावी तिथि 01.04.1992, आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1989, प्रभावी तिथि 18.05.1989, आयकर (संशोधन) नियम, 1986, प्रभावी तिथि 01.04.1986 और आयकर (संशोधन) नियम, 1985, प्रभावी तिथि 01.04.1985 द्वारा संशोधित
2. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019, संशोधित प्रभाव से 1.09.2019, द्वारा "स्थाई खात संख्या (पैन)" के लिए प्रतिस्थापित
3. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा शामिल

3क. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 प्रभावी तिथि 1.4.2021 द्वारा प्रतिस्थापित। इससे पहले, वाक्यांश 8क को आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2020 प्रभावी तिथि 01.10.2020 द्वारा शामिल किया गया था

3ख. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा "115खकघ" हेतु प्रतिस्थापित

3ग. आयकर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2024 प्रभावी तिथि **5.03.2024** द्वारा "44कघ" के लिए प्रतिस्थापित

13. (क) पिछले वर्ष में नियोजित खातो की विधि

(ख) क्या नियोजित लेखांकन की विधि में कोई परिवर्तन किया गया था की तुलना में तुरंत पिछले वर्ष से पहले में नियोजित विधि

(ग) यदि उक्त (ख) का उत्तर सकारात्मक है, ऐसे परिवर्तन और लाभ या हानि पर उसके प्रभाव का का ब्यौरा दें

क्रमांक संख्या	*ब्यौरा*	*लाभ में परिवर्तन (रू.)*	*लाभ में कमी (रू.)*

[4][(घ) क्या धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित प्रकटीकरण मानकों और आय की गणना के प्रावधानों के अनुपालन के लिए लाभ या हानि के लिए समायोजन किया जाना आवश्यक है

(ङ) यदि उक्त (घ) का उत्तर सकारात्मक है तो ऐसे समायोजन का ब्यौरा दें

		लाभ में वृद्धि (रू.)	*लाभ में कमी (रू.)*	*शुद्ध प्रभाव (रू.)*
आईसीडीएस I	लेखांकन नीति			
आईसीडीएस II	माल का मूल्यांकन			
आईसीडीएस III	निर्माण अनुबंध			
आईसीडीएस IV	राजस्व पहचान			
आईसीडीएस V	वास्तविक निश्चित परिसंपत्ति			
आईसीडीएस VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
आईसीडीएस VII	सरकारी अनुदान			
आईसीडीएस VIII	प्रतिभूतियां			
आईसीडीएस IX	ऋण लागत			
आईसीडीएस X	प्रावधान, प्रासंगिक देयता और प्रासंगिक परिसंपत्तियां			
	कुल			

(च) आईसीडीआई के अनुसार प्रकटीकरण :

(i)	आईसीडीएस I- लेखांकन नीति
(ii)	आईसीडीएस II - माल का मूल्यांकन
(iii)	आईसीडीएस III .- निर्माण अनुबंध
(iv)	आईसीडीएस IV - राजस्व पहचान
(v)	आईसीडीएस V- वास्तविक निश्चित परिसंपत्ति
(vi)	आईसीडीएस VII- सरकारी अनुदान
(vii)	आईसीडीएस IX- ऋण लागत
(viii)	आईसीडीएस X- प्रावधान, प्रासंगिक देयता और प्रासंगिक परिसंपत्तियां

14. (क) पिछले वर्ष में नियोजित अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन की विधि

(ख) धारा 145क के अंतर्गत निर्धारित मूल्यांकन की विधि और लाभ या हानि पर उसके प्रभाव से अंतर के मामले में, कृपया प्रस्तुत करे

क्र.सं.	*ब्यौरा*	*लाभ में बढ़ोत्तरी (रू.)*	*लाभ में कमी (रू.)*

4. आयकर (तेइसवां संशोधन) नियम, 2016, प्रभावी तिथि 01.04.2017 द्वारा वाक्यांश (घ), के लिए प्रतिस्थापित वाक्यांश (घ),(ङ) और (च)

15. कारोबारी माल में परिवर्तित पूंजीगत परिसंपत्ति के निम्नलिखित ब्यौरे दे

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति का ब्यौरा

(ख) अधिग्रहण की तिथि

(ग) अधिग्रहण की लागत

(घ) कीमत जिस पर परिसंपत्ति कारोबारी माल में रूपांतरित है

16. राशि जो लाभ या हानि खाते में जमा नही हुई, निम्न के तौर पर

(क) धारा 28 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मद

(ख) प्रोफोमा क्रेडिट, ड्राबैक, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर की ड्यूटी का प्रतिदाय या बिक्री कर का प्रतिदाय या मूल्य वर्धित कर जहां ऐसे क्रेडिट, ड्राबैक या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय के तौर पर स्वीकृत है

(ग) पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे

(घ) आय की अन्य कोई मद

(ङ) पूंजीगत प्राप्ति, यदि हो

[4क][17. जहां कोई भूमि या भवन या दोनो धारा 43ग में संदर्भित राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई या निर्धारित की गई या निर्धारणीय राशि से कम प्रतिफल के लिए पिछले वर्ष के दौरान स्थानांतरित होती है, कृपया प्रस्तुत करें

संपत्ति का ब्यौरा	*प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल*	*अपनाई गई या मूल्यांकित या मूल्यांकन की जाने वाली राशि*	*धारा 43गक की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक या धारा 56 की उप-धारा (2) के वाक्यांश (X) के वाक्यांश हेतु चौथ परंतुक के प्रावधान लागू है [हां/नही]*

]

18. निम्नलिखित प्रपत्र में प्रत्येक संपत्ति या संपत्तियों के हिस्से, जो भी मामला हो, के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्वीकृत मूल्यांकन का ब्यौरा

(क) परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों का ब्यौरा

(ख) मूल्यह्रास की दर

(ग) उल्लेखित राशि, जो भी हो, की वास्तविक लागत

[5][[5क][(गक) अधोलिखित राशि के लिए किए गए समायोजन

(*i*) धारा 115खकक की उप-धारा (3) के परंतुक के अंतर्गत (निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ही)

(*ii*) धारा 115खकग की उप-धारा (3) के पहले परंतुक या धारा 115खकघ की उप-धारा (3) के परंतुक के अंतर्गत (निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ही)

(*iii*) धारा 115खकघ की उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत (निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ही)]

(गख) व्यापार या पेशे की ख्याति की कीमत को छोड़ने के कारण अमूर्त परिसंपत्ति की अधोलिखित कीमत हेतु समायोजन ....

(गग) समायोजित अधोलिखित कीमत..]

(घ) एक परिसंपत्ति की किसी वृद्धि के मामले में तिथियों के साथ वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती, निम्न के कारण समायोजन सहित उपयोग करने की तिथि -

(*i*) 1 मार्च, 1994 को या उसके बाद प्राप्त परिसंपत्तियों के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद नियम, 1944 के अंतर्गत दावा किए गए और स्वीकृत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर ऋण

(*ii*) मुद्रा के विनिमय के दर में परिवर्तन और

(*iii*) सब्सिडी या अनुदान या प्रतिपूर्ति, जिस भी नाम से जाना जाए

(ङ) स्वीकृत मूल्यह्रास

(च) वर्ष की समाप्ति पर अधोलिखित मूल्य

4क. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2021, प्रभावी तिथि 01.04.2021 द्वारा प्रतिस्थापित

5. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2021, प्रभावी तिथि 01.04.2021 द्वारा उप-वाक्यांश (गक) और (गख) हेतु प्रतिस्थापित (गक), (गख) और (गग)। इससे पहले, उप-वाक्यांश (गक) और (गख) को आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2020, प्रभावी तिथि 01.10.2020 द्वारा शामिल किया गया था।

5क. आयकर (चौथा संशोधन) नियम 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा प्रतिस्थापित

19. धाराओं के अंतर्गत स्वीकार्य राशियां

धारा	*लाभ और हानि खाते हेतु काटी गई राशि*	*आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि और शर्तो को भी पूरी करती हो, यदि आयकर अधिनियम, 1961 के या आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत निर्दिष्ट हो या अन्य कोई दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि को इ स संबंध में जारी किया गया हो*
32कग		
[6][32कघ]		
33कख		
33कखक		
35(1)(i)		
35(1)(ii)		
35(1)(iii)		
35(1)(iv)		
35(2कक)		
35(2कख)		
[6क][35कखक]		
35कखख		
35कग		
35कघ		
35गगक		
35गगख		
35गगग		
35गगघ		
35घ		
35घघ		
35घघक		
35ङ		
[6क][अन्य कोई प्रासंगिक धारा]		

6. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018, प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा शामिल

6क आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा शामिल

20. (क) दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के तौर पर कर्मचारी को दी गई कोई राशि जहां ऐसी राशि लाभ या लाभ ांश के तौर पर उसे अन्यथा दी जाने वाली राशि थी [धारा 36(1) (ii)]

(ख) विभिन्न फंड के लिए कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अंशदान का ब्यौरा जैसाकि धारा 36(1)(vक) में संदर्भित है

क्रमांक संख्या	*फंड का प्रकार*	*कर्मचारियों से प्राप्त राशि*	*भुगतान की देय तिथि*	*दी गई वास्तविक राशि*	*संबंधित प्राधिकारियों को भुगतान की वास्तविक तिथि*

21. (क) कृपया लाभ और हानि खाते से काटी गई राशि के ब्यौरा प्रस्तुत करें, पूंजीगत, निजी, विज्ञापन व्यय आदि के रूप में

प्रकार	*क्रमांक संख्या*	*ब्यौरा*	*रू. में राशि*
पूंजीगत व्यय			
निजी व्यय			
विज्ञापन व्यय, किसी स्मारिका, ब्रोशर, प्रणाली, पैम्फलेट या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित के तौर पर			
प्रवेश शुल्क और अंशदाताओं के तौर पर क्लब में किया गया व्यय			
क्लब सेवाओं और प्रयोग की गई सुविधिओं के तौर पर क्लब में किया गया व्यय			
[6ख][किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय जो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या किसी कानून (भारत में या भारत के बाहर अधिनियमित) के उल्लंघन के लिए दंड या जुर्माना के रूप में व्यय]			
वर्तमान के लिए किसी कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना या जुर्माने के रूप में व्यय			
उक्त शामिल न होने वाले जुर्माने या किसी अन्य जुर्माने के रूप में व्यय			
[6ग][भारत में या भारत के बाहर, किसी भी समय लागू कानून के तहत किसी अपराध को कम करने के लिए किया गया व्यय]			
[6घ][किसी व्यक्ति को, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहल, किसी भी रूप में को लाभ या अनुलाभ ङ्कदान करने के लिए किया गया व्यय, और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे लाभ या अनुलाभ को स्वीकार करना किसी भी कानून या नियम का उल्लंघन है या ऐसे व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाला विनियमन या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो, फिलहाल लागू है]			

6ख. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा "वर्तमान में किसी कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने या दंड के रूप में व्यय" हेतु प्रतिस्थापित

6ग. आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा **5.3.2024** से अंतःस्थापित

6घ. किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया व्यय हतु प्रतिस्थापित जो आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **5.3.2024** द्वारा उल्लंघन है या जो कानून द्वारा निषेध है

(ख) धारा 40(क) के अंतर्गत स्वीकार्य राशियां -

(*i*) उप-वाक्यांश (i) में संदर्भित अनिवासी को भुगतान के तौर पर

(क) भुगतान का ब्यौरा जिस पर कर नही काटा जाना है :

(*i*) भुगतान की तिथि

(*ii*) भुगतान की राशि

(*iii*) भुगतान का प्रकार

(*iv*) अदाता का नाम और पता

(ख) भुगतान जिस पर कर कटौती की गई है लेकिन धारा 200(1) के अंतर्गत निर्धारित समय की समाप्ति से पूर्व बाद के वर्ष में या पिछले वर्ष के दौरान किया गया हो

(*i*) भुगतान की तिथि

(*ii*) भुगतान की राशि

(*iii*) भुगतान का प्रकार

(*iv*) अदाता का नाम और पता

(*v*) काटी गई कर की राशि

(*ii*) उप-वाक्यांश (iक) में संदर्भित भुगतान के तौर पर

(क) भुगतान जिस पर कर कटौती नही की गई, का ब्यौरा

(I) भुगतान की तिथि

(II) भुगतान की राशि

(III) भुगतान का प्रकार

(IV) अदाता का नाम और पता

(ख) भुगतान, जिस पर कर कटौती की गई लेकिन धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट देय तिथि को या उससे पहले न दिया गया हो, का ब्यौरा

(I) भुगतान की तिथि

(II) भुगतान की राशि

(III) भुगतान का प्रकार

(IV) [6ड][अदाता] का नाम और पता

(V) काटे गए कर की राशि

(VI) जमा (V), यदि हो, में से राशि

(*iii*) उप-वाक्यांश (iग) के अंतर्गत (जहां लागू हो)

(*iv*) उप-वाक्यांश (iiक) के अंतर्गत

(*v*) उप-वाक्यांश (iiक) के अंतर्गत

(*vi*) उप-वाक्यांश (iii) के अंतर्गत

(क) भुगतान की तिथि

(ख) भुगतान की राशि

(ग) अदाता का नाम और पता

(*vii*) उप-वाक्यांश(iv) के अंतर्गत

(*viii*) उप-वाक्यांश(v) के अंतर्गत

6ड. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा “अदाता” के लिए प्रतिस्थापित

(ग) धारा 40(ख)/40(खक) के अंतर्गत अस्वीकार्य ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के तौर पर लाभ और हानि खाते से काटी गई राशि और उसकी गणना

(घ) धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति/अनुमानित आय

(क) बही खातों की जांच और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाण के आधार पर, क्या नियम 4घघ के साथ पठित धारा 40क(3) के अंतर्गत शामिल व्यय बैंक पर आहरित अकाउंट में देय चेक या अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यदि नही तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें

क्रमांक संख्या	*भुगतान की तिथि*	*भुगतान का प्रकार*	*राशि*	*अदाता, यदि हो, का नाम और* [7]*[स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर]*

(ख) बही खातो और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणों की जांच के आधार पर, क्या नियम 4घघ के साथ पठित धारा 40क(3) में संदर्भित भुगतान बैंक पर आहरित अकाउंट में देय चेक या अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यदि नही तो कृपया धारा 40क(3क) के अंतर्गत व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति हेतु अनुमानित राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करें

क्रमांक संख्या	*भुगतान की तिथि*	*भुगतान का प्रकार*	*राशि*	*अदाता, यदि हो, का नाम और* [7]*[स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर]*

(ङ) धारा 40क(7) के अंतर्गत ग्रेचुएटी के भुगतान का प्रावधान

(च) कर्मचारी के तौर पर निर्धारिती द्वारा दी गई कोई राशि धारा 40क(9) के अंतर्गत स्वीकृत नही है

(छ) प्रासंगिक प्रकार की किसी देयता का ब्यौरा

(ज) आय जो कुल आय का हिस्सा नही है, के संदर्भ में किए गए व्यय के संदर्भ में धारा 14क के शर्तों में अस्वीकार्य कटौती की राशि

(झ) धारा 36(1)(iii) के अंतर्गत अस्वीकार्य राशि

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज की राशि [7क]*[या अन्य कोई राशि जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के वाक्यांश (ज) के अंतर्गत स्वीकार्य नही है]*

23. धारा 40क(2)(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

24. धारा 32कग या [8][32कघ] या 33कख या 33कखक या 33कग के अंतर्गत लाभ और प्राप्तियों हेतु अनुमानित आय

25. धारा 41 के अंतर्गत कर हेतु वसूलनीय लाभ की कोई राशि और उसकी गणना

26. धारा 43ख के वाक्यांश (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) [9][(च) और (छ)] में संदर्भित किसी आय के संदर्भ में देयता जिसके लिए

(क) पिछले वर्ष के पहले दिन पहले से मौजूद थी लेकिन किसी पहले के पिछले वर्ष के निर्धारण में स्वीकार्य नही था

(क) पिछले वर्ष के दौरान दिया गया हो

(ख) पिछले वर्ष के दौरान न दिया गया हो

(ख) पिछले वर्ष में व्यय किया गया था और

(क) धारा 139(1) के अंतर्गत पिछले वर्ष की आय की विवरणी की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि को या पहले दिया गया

(ख) उक्तकथित तिथि को या उससे पहले न दिया हो

(निर्दिष्ट करे कि क्या बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या अन्य कोई अप्रत्यक्ष कर, उदग्रहण, अधिकर, चुंगी आदि लाभ और हानि खाते के माध्यम से पारित होता है)

7. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2019 संशोधित प्रभावी तिथि 01.09.2019 द्वारा स्थाई खाता संख्या के लिए प्रतिस्थापित

7क. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024 प्रभावी तिथि 5.3.2024 द्वारा शामिल [जैसा शुद्धिपत्र जी.एस.आर. 223(ई), दिनांक 19.03.2024 द्वारा संशोधित किया गया है]

8. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा अंतःस्थपित

9. आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा 20.8.2018 "या (च)" से प्रतिस्थापित

27. (क) पिछले वर्ष के दौरान लाभ या प्रयुक्त केंद्रीय मूल्य वर्धित कर की राशि और लाभ और हानि खाते में इसका उपचार और खातो में शेष केंद्रीय मूल्य वर्धित कर ऋण का उपचार

(ख) लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट अवधि से पूर्व के आय और व्यय का ब्यौरा

28. क्या पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने किसी संपत्ति को प्राप्त किया, एक कंपनी के शेयर के तौर पर नाकि एक कंपनी जिसमें जनता का वास्तविक तौर पर हित है, के तौर पर, अनापयुक्त प्रतिफल के लिए या प्रतिफल के बिना, जैसा धारा 56(2)(viiक) के तौर पर संदर्भित है, यदि हां, कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें

29. क्या पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती ने शेयरों के निगर्मन के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त किया जो शेयरों के उचित बाजार कीमत से अधिक हो जैसाकि धारा 56(2)(viiख) में संदर्भित है, यदि हां तो कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें

[10][29क. (क) क्या कोई राशि शामिल की जानी है जैसाकि शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत वसूलनीय है जैसाकि धारा 56 की उप-धारा (2) के वाक्यांश (ix) में संदर्भित है (हां/नही)

(ख) यदि हां, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें

(*i*) आय का प्रकार

(*ii*) उसकी राशि

29ख. (क) क्या कोई राशि शामिल की जानी है जैसाकि शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत वसूलनीय है जैसाकि धारा 56 की उप-धारा (2) के वाक्यांश (x) में संदर्भित है (हां/नही)

(ख) यदि हां, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें

(*i*) आय का प्रकार

(*ii*) उसकी राशि]

30. हुंदी पर उधार ली गई किसी राशि का ब्यौरा या उस पर देय राशि (उधार ली गई राशि पर ब्याज सहित) का पुर्नभुगतान, अकाउंट में देय चेक के माध्यम को छोड़कर (धारा 96घ)

[10][**30क.** (क) क्या मूल्य स्थानांतरण हेतु प्राथमिक समायोजन जैसाकि धारा 92गङ की उप-धारा (1) में संदर्भित है, को पिछले वर्षके दौरान किया गया है? (हां/नही)

ख यदि हां. कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें -

(*i*) धारा 92गङ की उप-धारा (1) के किस वाक्यांश के अंतर्गत प्राथमिक समायोजन किया गया है?

(*ii*) प्राथमिक समायोजन की राशि (रू. में)

(*iii*) क्या संबद्ध उद्यम के पास उपलब्ध अतिरिक्त राशि धारा 92गङ की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यावर्तित की जानी है (हां/नही)

(*iv*) यदि हां, क्या अतिरिक्त राशि नियत समय के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की गई है (हां/नही)

(*v*) यदि नहीं, ऐसी अतिरिक्त राशि पर अध्यारोपित ब्याज आय की राशि (रू. में) जिसे निर्धारित समय के अंदर प्रत्यावर्तित नही किया गया है

30ख. (क) क्या निर्धारिती ने ब्याज के रूप में या एक करोड़ से अधिक की इसी प्रकार के ब्याज पिछले वर्ष के दौरान व्यय कि या है जैसा धारा 94ख की उप-धारा (1) में संदर्भित है (हां/नही)

(ख) यदि हां, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें -

(*i*) ब्याज के रूप में व्यय या इसी प्रकार के किए गए व्यय की राशि (रू. में)

(*ii*) पिछले वर्ष के दौरान ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति (ईसीआईटीडीए) से पूर्व अर्जन

(*iii*) उक्त (i) के अनुसार ब्याज के रूप में या इसी प्रकार के व्यय की राशि (रू. में) जैसा उक्त (ii) के अनुसार ईबीडीटीए के 30 प्रतिशत से अधिक है

(*iv*) धारा 94ख की उप-धारा (4) के अनुसार अग्रेषित ब्याज व्यय का ब्यौरा

वित्त वर्ष	*राशि (रू. में)*

(*v*) धारा 94ख की उप-धारा (4) के अनुसार शेष ब्याज व्यय का ब्यौरा

वित्त वर्ष	*राशि (रू. में)*

10. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा शामिल

30ग. (क) क्या निर्धारिती ने एक अस्वीकार्य परिहार समझौता किया जैसाकि पिछले वर्ष के दौरान धारा 96 में संदर्भित है? (हां/नही)

(ख) यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें -

(*i*) अस्वीकार्य परिहार समझौते का प्रकार

(*ii*) व्यवस्था हेतु सभी पार्टियों के लिए अर्जित, कुल, पिछले वर्ष में कर लाभ की राशि (रू. में)

[11][**31.** (क) पिछले वर्ष के दौरान ली गई या स्वीकृत धारा 269 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में प्रत्येक ऋण या जमा का ब्यौरा -

(*i*) ऋणदाता या जमाकर्ता का नाम, पता और [12][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) ली गई या जमा ऋण या जमा की राशि

(*iii*) क्या ऋण या जमा को पिछले वर्ष के दौरान चुकता किया गया था

(*iv*) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में शेष अधिकतम राशि

(*v*) क्या ऋण या जमा चेक या बैंक ड्राफ्ट या एक बैंक खाते में माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए ली गई या स्वीकृत किया गया था

(*vi*) यदि ऋण या जमा चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया या स्वीकृत किया गया था क्या इसे एक अकाउंट में देय चेक या एक अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया या स्वीकृत किया गया था

(ख) पिछले वर्ष के दौरान ली गई या स्वीकृत धारा 269धध में निर्दिष्ट सीमा से अधिक की एक निर्दिष्ट कुल राशि का ब्यौरा -

(*i*) उस व्यक्ति का नाम, पता और [13][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] जिससे निर्दिष्ट राशि प्राप्त हुई

(*ii*) ली गई या जमा निर्दिष्ट राशि

(*iii*) क्या निर्दिष्ट राशि चेक या बैंक ड्राफ्ट या एक बैंक खाते में माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए ली गई या स्वीकृत किया गया था

(*iv*) यदि निर्दिष्ट राशि चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ली या स्वीकृत की गई थी, क्या इसे एक अकाउंट में देय चेक या एक अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया या स्वीकृत किया गया था

((क) और (ख) का ब्यौरा एक सरकारी कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी या केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित कार्पोरेशन के मामले में दिए जाने की आवश्यकता नही है)

[14][(खक) एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेनों के संदर्भ में या एक लेनदेन के संदर्भ में या एक दिन में एक व्यक्ति से कुल में, पिछले वर्ष के दौरान धारा 269धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में प्रत्येक प्राप्ति का ब्यौरा जहां ऐसी प्राप्ति एक चेक या बैंक ड्राफ्ट या एक बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के प्रयोग को छोड़कर अन्यथा ऐसी प्राप्ति होती हो -

(*i*) अदाता का नाम, पता और [13][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) लेनदेन का प्रकार

(*iii*) प्राप्ति की राशि (रू. में)

(*iv*) प्राप्ति की तिथि

(खख) एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेनों के संदर्भ में या एक लेनदेन के संदर्भ में या एक दिन में एक व्यक्ति से कुल में, पिछले वर्ष के दौरान धारा 269धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में प्रत्येक प्राप्ति का ब्यौरा जो पिछले वर्ष के दौरान एक चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त हुआ हो अकाउंट में देय चेक या अकाउंट में देय चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नही -

(*i*) अदाता का नाम, पता और [13][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) प्राप्ति की राशि (रू. में)

---

11. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 प्रभावी तिथि 19.07.2017 द्वारा प्रतिस्थापित
12. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2019 संशोधित प्रभावी तिथि 01.09.2019 द्वारा "स्थाई खाता संख्या" के लिए प्रतिस्थापित
13. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2019 संशोधित प्रभावी तिथि 01.09.2019 द्वारा "स्थाई खाता संख्या" के लिए प्रतिस्थापित
14. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा शामिल वाक्यांश (खक) से (खघ)

(खग) एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेनों के संदर्भ में या एक एकल लेनदेन के संदर्भ में या एक दिन में एक व्यक्ति से कुल में, धारा 269धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक की राशि में किया गया प्रत्येक भुगतान का ब्यौरा, पिछले वर्ष के दौरान एक बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग या चेक या बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर

(*i*) अदाता का नाम, पता और [15][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) लेनदेन का प्रकार

(*iii*) प्राप्ति की राशि (रू. में)

(*iv*) प्राप्ति की तिथि

(खघ) एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेनों के संदर्भ में या एक एकल लेनदेन के संदर्भ में या एक दिन में एक व्यक्ति से कुल में, धारा 269धन में निर्दिष्ट सीमा से अधिक की राशि में किया गया प्रत्येक भुगतान का ब्यौरा, पिछले वर्ष के दौरान एक चेक या एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, अकाउंट में देय चेक या एक अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट के तौर पर नही

(*i*) अदाता का नाम, पता और [15][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) भुगतान की राशि (रू. में)

((खक), (खख), (खग) और (खघ) पर ब्यौरा एक सरकारी कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी, एक डाकघर बचत बैंक, एक सह कारी बैंक द्वारा प्राप्ति के मामले में या अधिसूचना सं. एसओ 2065 (ई) दिनांक 3 जुलाई, 2017 में संदर्भित व्यक्तियों के मामले में नही दिया जाना चाहिए)

(ग) पिछले वर्ष के दौरान धारा 269न में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में किसी निर्दिष्ट उधार या जमा या ऋण के प्रत येक पुर्नभुगतान का ब्यौरा

(*i*) अदाता का नाम, पता और [15][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) पुर्नभुगतान की राशि

(*iii*) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में शेष अधिकतम राशि

(*iv*) क्या एक बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग या चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुर्नभुगतान किया गया था

(*v*) यदि पुर्नभुगतान चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो क्या इसे अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट या एक खाते में पेय चेक द्वारा [16][पुर्नभुगतान] किया था

(घ) पिछले वर्ष के दौरान एक बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के प्रयोग या एक चेक या बैंक ड्राफ्ट को छो ड़कर धारा 269न में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में किसी निर्दिष्ट उधार या जमा या ऋण के प्रत्येक पुर्नभुगतान का ब यौरा

(*i*) [17][अदाता का नाम, पता और [18][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) पिछले वर्ष के दौरान एक बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग या एक चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा प्राप्त कोई विशिष्ट उधार या जमा या ऋण के [19][पुर्नभुगतान] की राशि

(ङ) एक चेक या बैंक ड्राफ्ट जो पिछले वर्ष के दौरान एक अकाउंट में देय चेक या अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट नही है, द्वारा प्राप्त धारा 269न में निर्दिष्ट सीमा से अधिक राशि में किसी निर्दिष्ट उधार या जमा या ऋण के प्रत्येक पुर्नभुगतान का ब्यौरा

(*i*) [17][अदाता का नाम, पता और [18][स्थाई खाता संख्या या आधार नंबर] (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो)

(*ii*) एक चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कोई विशिष्ट उधार या जमा या ऋण के [19][पुर्नभुगतान] की राशि जो पिछले वर्ष के दौरान एक खाते में देय चेक या अकाउंट में देय बैंक ड्राफ्ट नही है

((ग), (घ) और (ङ) में ब्यौरा सरकार, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक कार्पोरेशन से स्वीकृत या लिया गया कोई ऋण या जमा या निर्दिष्ट उधार के पुर्नभुगतान के मामले में नही दिए जाने की जरूरत है)

---

15. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2019 संशोधित प्रभावी तिथि 01.09.2019 द्वारा "स्थाई खाता संख्या" के लिए प्रतिस्थापित
16. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2019 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा "लिया गया या स्वीकृत" के लिए प्रतिस्थापित
17. शुद्धिपत्र जीएसआर 841(), दिनांक 6-7-2017 द्वारा ऋणदाता, या जमाकर्ता या जिस व्यक्ति से निलदष्ट अग्रिम प्राप्त हुआ है के नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध है) हेतु प्रतिस्थापित"
18. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2019 संशोधित प्रभावी तिथि 01.09.2019 द्वारा "स्थाई खाता संख्या" के लिए प्रतिस्थापित
19. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा समाविष्ट

32. [20][(क) निम्नलिखित तरीके में अग्रेषित हानि या मूल्यह्रास भत्ते, का ब्यौरा, उपलब्ध सीमा तक

क्र.सं.	*निर्धारण वर्ष*	*हानि/भत्ते का प्रकार (रू. में)*	*राशि जिसे वापस किया गया** *(रू. में)*	*धारा 115खकक/ 115खकग /[21][115खकघ/ 115खकङ] के अंतर्गत अनुमत न होने वाली सभी हानियां/भत्ते*	*धारा 115खकग/ [22][115खकघ/ 115खकङ^]के अंतर्गत कराधान को चुनने के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की निकासी द्वारा समयोजित राशि*	*राशि जिसे मूल्यांकित किया गया (प्रासंगिक आदेश में संदर्भ दें)*	*टिप्पणी*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*

*यदि मूल्यांकित मूल्यह्रास कम होता है और कोई अपील मूल्यांकित होने की तुलना में लंबित नही है।

^[23][केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 और 2024-25, जैसा लागू हो, के लिए दाखिल किए जाने के लिए]

(ख) क्या एक कंपनी की शेयरधारिता में परिवर्तन पिछले वर्ष में हुआ है जिसके कारण पिछले वर्ष से पूर्व हुई हानि को धारा 79 की शर्तो में अग्रेषित किया जाना स्वीकृत नही किया जा सकता

(ग) क्या निर्धारिती को पिछले वर्ष के दौरान धारा 73 में संदर्भित किसी सट्टेबाजी संबंधी हानि हुई है, यदि हां तो कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें

(घ) क्या निर्धारिती को पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यापार के संदर्भ में धारा 73क में संदर्भित कोई हानि हुई है यदि हां तो कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें

(ङ) एक कंपनी के मामले में, कृपया निर्दिष्ट करे कि कंपनी को एक सट्टा व्यापार करने वाली समझा जाएगा जैसाकि धारा 73 के स्पष्टीकरण में संदर्भित है, यदि हां, कृपया सट्टा हानि का ब्यौरा दें जो पिछले वर्ष के दौरान किया गया हो

33. अध्याय VIA या अध्याय III के अंतर्गत कटौती का धारा के आधार पर ब्यौरा (धारा 10क, धारा 10कक) :

धारा जिसके अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है	*आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि और शर्तों का पूर्तिकरण, यदि हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों या अन्य कोई दिशानिर्देश, परिपत्र, आदि जिसे इस संदर्भ में जारी किया गया हो*

34. (क) क्या निर्धारिती को अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के प्रावधानों के अनुसार काटे या संग्रहण आवश्य क है, यदि हां कृपया प्रस्तुत करें :

कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्या (टैन)	*धारा*	*भुगतान का प्रकार*	*कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रकार की प्राप्ति या भुगतान की कुल राशि*	*कुल राशि जिस पर कर (4) में से एकत्रित किया जाना या काटा जाना आवश्यक था*	*कुल राशि जिस पर कर (5) में से निर्दिष्ट दर पर काटा या निर्दिष्ट किया जाना था*	*(6) में से काटी गई या एकत्रित कर की राशि*	*कुल राशि जिस पर (7) में से निर्दिष्ट से कम पर काटा या एकत्रित किया जाना था*	*(8) पर काटे गए या एकत्रित किए गए कर की राशि*	*काटे गए या एकत्रित किए गए कर की राशि जो (6) और (8) में से केंद्र सरकार के ऋण हेतु जमा नही किए जाते*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*

20. आयकर (बाहरवां संशोधन) नियम, 2021 प्रभावी तिथि 01.04.2021 द्वारा प्रतिस्थापित। इससे पहले, उप-वाक्यांश (क) को आयकर (22वें संशोधन) नियम, 2020, प्रभावी तिथि 01.10.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

21. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि 05.03.2024 द्वारा "115खकघ" के लिए प्रतिस्थापित

22. आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **5.3.2024** से "115खकघ^" के लिए प्रतिस्थापित

23. आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2024, प्रभावी तिथि **05.03.2024** द्वारा "निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए जाने के लिए" के लिए प्रतिस्थापित

[24][(ख) क्या निर्धारिती को काटे गए या एकत्रित किए गए कर का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें :

कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्या (टैन)	*प्रपत्र का प्रकार*	*प्रस्तुति की नियत तिथि*	*प्रस्तुति की तिथि यदि प्रस्तुत हो चुका हो*	*क्या कर कटौती या संग्रहण के ब्यौरे में सभी ब्यौरे/लेनदेन के बारे में सूचना शामिल है जिसे सूचित किया जाना आवश्यक है। यदि नहीं, कृपया उन ब्यौरे/लेन देन कार्यवाहियों की सूची प्रस्तुत करें जिनको सूचित किया जाना आवश्यक नही है]*

(ग) क्या निर्धारिती धारा 201(1क) या धारा 206ग(7) के अंतर्गत ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है, यदि (हॉ तो) कृपया प्रस्तुत करें

कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्या (टैन)	*धारा 201(1क)/206ग(7) के अंतर्गत ब्याज की राशि देययोग्य है*	*भुगतान की तिथि सहित कॉलम (2) में से दी गई राशि*

35. (क) व्यपारी उद्यम के मामले में, व्यपारित उत्पादों के प्रमुख मदों का मात्रात्मक ब्यौरा

(*i*) प्रारंभिक स्टॉक

(*ii*) पिछले वर्ष के दौरान खरीद

(*iii*) पिछले वर्ष के दौरान बिक्री

(*iv*) अंतिम स्टॉक

(*v*) अल्प/अतिरिक्त, यदि हो

(ख) एक विनिर्माण उद्यम के मामले में, कच्ची सामग्री, अंतिम उत्पाद और उप-उत्पाद के प्रमुख मदों का मात्रात्मक ब्यौरा

क. कच्ची सामग्री

(*i*) प्रारंभिक स्टॉक

(*ii*) पिछले वर्ष के दौरान खरीद

(*iii*) पिछले वर्ष के दौरान उपभोग

(*iv*) पिछले वर्ष के दौरान बिक्री

(*v*) अंतिम स्टॉक

(*vi*) अंतिम उत्पाद की प्राप्ति

(*vii*) प्राप्ति का प्रतिशत

(*viii*) अल्प/अतिरिक्त, यदि हो

ख. अंतिम उत्पाद/उप-उत्पाद :

(*i*) प्रारंभिक स्टॉक

(*ii*) पिछले वर्ष के दौरान खरीद

(*iii*) पिछले वर्ष के दौरान विनिर्मित गुणवत्ता

(*iv*) पिछले वर्ष के दौरान बिक्री

(*v*) अंतिम स्टॉक

(*vi*) अल्प/अतिरिक्त, यदि हो

24. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018, प्रभावी तिथि 20.08.2018 द्वारा प्रतिस्थापित

36. [25][***]

[26][**36क.** (क) क्या निर्धारिती को धारा 2 के वाक्यांश (22) के उप-वाक्यांश (ङ) में संदर्भितानुसार लाभांश के प्रकार की राशि प्राप्त हुई है? (हां/नही)

(ख) यदि हां, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें :

(*i*) प्राप्त राशि (रू. में)

(*ii*) प्राप्ति की तिथि

37. क्या कोई लागत अंकेक्षण किया गया था, यदि हां, तो किसी मामले/मद/राशि/मात्रा पर अयोग्यता या अस्वीकृति का ब्यौरा, यदि हो, दें जैसा लागत अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदित/पहचाना जा सकता है

38. क्या कोई अंकेक्षण केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 के अंतर्गत किया गया था, यदि हां, तो किसी मामले/मद/राशि/मात्रा पर अयोग्यता या अस्वीकृति का ब्यौरा, यदि हो, दें जैसा लागत अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदित/पहचाना जा सकता है

39. क्या कोई अंकेक्षण कराधान सेवाओं, यदि हो, के मूल्यांकन के संबंध में वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 72क के अंतर्गत किया गया था, यदि हां, तो किसी मामले/मद/राशि/मात्रा पर अयोग्यता या अस्वीकृति का ब्यौरा, यदि हो, दें जैसा लागत अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदित/पहचाना जा सकता है

40. पिछले वर्ष और पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के लिए कारोबार, कुल लाभ आदि से संबंधित ब्यौरा

क्रमांक संख्या	*ब्यौरा*	*पिछला वर्ष*	*पूर्ववर्ती पिछला वर्ष*
1	निर्धारिती का कुल कारोबार		
2	कुल लाभ/कारोबार		
3	शुद्ध लाभ/कारोबार		
4	कारोबारी माल/कारोबार		
5	उपयोग की गई सामग्री/अंतिम उत्पादित वस्तु		

(ब्यौरा व्यपारित उत्पाद या विनिर्माण या दी गई सेवाओं के प्रमुख मद के लिए प्रस्तुत की जानी है)

41. कृपया प्रासंगिक कार्यवाहियों के ब्यौरे सहित आयकर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 को छोड़कर किसी अन्य कानून के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान जारी प्रतिदाय या की गई मांग का ब्यौरा प्रस्तुत करें

[27][**42.** (क) क्या निर्धारिती को प्रपत्र सं. 61 या प्रपत्र सं. 61क या प्रपत्र सं. 61ख में ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? (हां/नही)

(ख) यदि हां, तो कृपया प्रस्तुत करें

आयकर विभाग प्रतिवेदी उद्यम पहचान संख्या	*प्रपत्र का प्रकार*	*प्रस्तुति की नियत तिथि*	*प्रस्तुति की तिथि यदि प्रस्तुत की गई हो*	*क्या प्रपत्र में समस्त ब्यौरा/लेनदेन के बारे में सभी सूचना शामिल है जिसे सूचित किया जाना आवश्यक है, यदि नही तो ब्यौरे/लेनदेन की सूची प्रस्तुत करें जिसे सूचित न किया गया हो*

43. (क) क्या निर्धारिती या इसके मूल उद्यम या वैकल्पिक प्रतिवेदी उद्यम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जैसा धारा 286 की उप-धारा (2) में संदर्भित है (हां/नही)

(ख) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें :

(*i*) क्या रिपोर्ट निर्धारिती या इसके मूल उद्यम या एक वैकल्पिक प्रतिवेदी उद्यम द्वारा प्रस्तुत की गई है

(*ii*) मूल उद्यम का नाम

(*iii*) वैकल्पिक प्रतिवेदी उद्यम का नाम (यदि लागू हो)

(*iv*) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तिथि

25. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2021, द्वारा 01.04.2021 से लोप किया गया।
26. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018, द्वारा 20.08.2018 से अंतःस्थापित।
27. आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2018, द्वारा 20.08.2018 से अंतःस्थापित।

44. जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत न होने वाले उद्यमों के कुल व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	*वर्ष के दौरान किए गए व्यय की कुल राशि*	*जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों के संदर्भ में व्यय*				*जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत न होने वाले उद्यमों से संबंधित व्यय*
		जीएसटी से मुक्त उत्पादों या सेवाओं से संबंधित	*संयोजन योजना के अंतर्गत आने वाले उद्यमों से संबंधित*	*अन्य पंजीकृत उद्यमों से संबंधित*	*पंजीकृत उद्यमों का कुल भुगतान*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*]

....

*(हस्ताक्षर और स्टांप/हस्ताक्षरीकर्ता की मोहर)

स्थान............................

हस्ताक्षरी का नाम.........................

तिथि.............................

पूरा पता..............................

टिप्पणी :

यह प्रपत्र, प्रपत्र सं. 3गक या प्रपत्र सं. 3गख, जो भी मामला हो, को हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए